2016 का विधेयक सं.11

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर के नाम और इसके मुख्यालय को परिवर्तित करने और राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन भी करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2016 को और से प्रवृत्त होगा।

2. राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम परिवर्तन.- (1) राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 31), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थ लगाया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

3. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा़ अधिनियम, 2012 के रूप में प्रदधृत किया जा सकेगा।

4. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन.- मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उदयपुर में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बांसवाड़ा में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 1 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्त:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(खख) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

(खखख) "स्वायत्त महाविद्यालय" से ऐसी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस रूप में घोषित किया जाये;";

(ii) विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ङ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घघ) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;";

(iii) विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ज) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(छछ) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;"; और

(iv) विद्यमान खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अभिप्रेत है;"।

7. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय बांसवाड़ा में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।"।

8. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"4. अधिकारिता.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 10), महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8), डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 1) और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार, समस्त घटक, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों में और राजस्थान राज्य के भीतर के ऐसे अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों में भी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) राज्य के भीतर स्थित किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त करने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा

तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे सरकारी महाविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, पर जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।"।

9. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) खण्ड (v) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (vi) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(vii) विद्या की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देने के लिए उपबंध करना; और

(viii) विद्या की समस्त शाखाओं में अनुसंधान को अग्रसर करना।"।

10. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(i) खण्ड (फ) में, अन्त में आया विद्यमान विराम चिह्न ";" यथावत रहेगा;

(ii) खण्ड (ब) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ब) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(भ) विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये जाने वाले महाविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन समस्त या इनमें से किन्हीं भी विशेषाधिकारों को वापस लेना;

(म) किसी महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम में अधिकथित की जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना और स्वायत्तता वापस लेना; और

(य) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे।"।

11. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (II) के उप-खण्ड (vii) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (II) के उप-खण्ड (viii) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) खण्ड (II) के इस प्रकार संशोधित उप-खण्ड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ix) निदेशक/आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान।";

(iv) खण्ड (III) के उप-खण्ड (iv) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(v) खण्ड (III) के उप-खण्ड (v) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) खण्ड (III) के इस प्रकार संशोधित उप-खण्ड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(vi) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध विश्वविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा।"।

12. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (ज) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (झ) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"(ञ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला किसी घटक महाविद्यालय का एक प्राचार्य/ निदेशक;

(ट) निदेशक/आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

(ठ) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें

से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;

(ङ) घटक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग से, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला, आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(ढ) संबद्ध महाविद्यालय से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला, प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।"।

13. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 26 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ग) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (घ) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ङ) संबद्ध महाविद्यालयों से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष।"।

14. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।"।

15. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 में नयी धाराओं 33क और 33ख का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 33 के पश्चात् और विद्यमान धारा 34 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"**33क. स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान किया जाना.-** (1) विश्वविद्यालय द्वारा, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय विभाग को छात्रों को प्रवेश देने, पाठ्यक्रम विहित करने, शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परीक्षाएं करवाने के मामलों में स्वायत्त प्रास्थिति और उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त की जा सकेंगी।

(2) बोर्ड, ऐसे किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में शिक्षा के स्तर के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्तियों से, जो उपयुक्त समझे जायें, मिलकर बनी किसी स्थायी समिति से विहित रीति से जांच करवाने का निदेश दे सकेगा।

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट और उस पर विद्या परिषद् की सिफारिश प्राप्त हो जाने पर, बोर्ड, समाधान हो जाने पर, मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार को उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(4) विश्वविद्यालय, ऐसी सहमति प्राप्त होने पर, महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करेगा।

(5) स्वायत्त प्रास्थिति, इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्विलोकन के अध्यधीन रहते हुए, प्रारंभिक तौर पर पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान की जा सकेगी। समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय का एक नामनिर्देशिती;

(ख) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला स्वायत्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य; और

(ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी।

(6) समिति, अपनी रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(7) विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग पर साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग और ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग के छात्रों को उपाधि प्रदान करता रहेगा।

(8) स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग, शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के समुचित प्रबंध के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करेगा जो विहित की जायें।

(9) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचनाएं देंगे जिनकी बोर्ड समय-समय पर अपेक्षा करे।

(10) बोर्ड, प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग का समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा।

33ख. स्वायत्त प्रास्थिति का वापस लिया जाना.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान वापस लिया जा सकेगा यदि महाविद्यालय, संस्था या विभाग उसके प्रदान किये जाने की किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है या उसकी दक्षता का इतना क्षय हो गया है कि शिक्षा के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश किये जाने के पूर्व, बोर्ड, एक मास के लिखित नोटिस द्वारा, महाविद्यालय, संस्था या विभाग से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) बोर्ड, नोटिस के प्रत्युत्तर में महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति

पर, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।

(4) राज्य सरकार, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो उचित समझी जाये, के पश्चात्, मामले पर अपनी राय अभिलिखित करेगी और अपने विनिश्चय से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय उस पर ऐसा आदेश करेगा जो वह उचित समझे।

(5) जहां स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग के मामले में, धारा 33क के अधीन प्रदत्त स्वायत्त प्रास्थिति उप-धारा (4) के अधीन किये गये आदेश द्वारा वापस ले ली जाती है, वहां ऐसे महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग की स्वायत्त प्रास्थिति, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से समाप्त हो जायेगी।"।

16. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 में नयी धारा 48क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 48 के पश्चात् और विद्यमान धारा 49 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"48क. संपत्तियों और जनशक्ति का अन्तरण.- तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की सलाह से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय को,-

(क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक के,

(ख) इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के या उसमें के किसी भी अधिकार या हित के, और

(ग) प्राप्त, प्रोद्भत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अंशदान, दान, सहायता या हिताधिकार के,

अंतरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जो आवश्यक समझे जायें।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के तीव्र विकास के साथ कदम मिलाने और समस्त संभागीय मुख्यालयों पर उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर "राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् ही बांसवाड़ा के नागरिकों और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय करने, और इसके मुख्यालय को बांसवाड़ा में स्थानान्तरित करने की मांग की गयी थी।

इसलिए, बांसवाड़ा के नागरिकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की दीर्घावधि से लम्बित राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित कर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय रखने और इसके मुख्यालय को उदयपुर से स्थानान्तरित कर बांसवाड़ा करने की मांग को पूरा करने और जनजातीय संत गोविन्द गुरु की याद को अविस्मरणीय बनाने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल ने जयपुर में 24.11.2015 को आयोजित उसकी बैठक में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित कर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय रखने का और उसके मुख्यालय को उदयपुर से स्थानान्तरित कर बांसवाड़ा करने का विनिश्चय किया।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन
महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (19) विधि/2/2016 जयपुर, दिनांक 28 मार्च, 2016 प्रेषकः कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ |

वित्तीय ज्ञापन

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016 के खण्ड 7 (ii), 9 (iii), 14 और 16, यदि अधिनियमित किये जाते हैं, राज्य की समेकित निधि से वर्ष 2016-17 के लिए 459.00 लाख रुपये प्राक्कलित व्यय अन्तर्वलित करेंगे, जिसमें से 329.00 लाख रुपये अनावर्ती और 130.00 लाख रुपये आवर्ती रकम के रूप में होंगे।

इस प्रयोजन के लिए, बजट प्राक्कलन 2016-17 में 459.00 लाख रुपये का बजट उपबंध किया जा रहा है और शेष उपबंध वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किये जायेंगे।

कालीचरण सराफ,
प्रभारी मंत्री।

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम सं. 31) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx

राजस्थान राज्य में उदयपुर में राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012 है।

(2) से (3) xx xx xx xx xx

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (ठ) xx xx xx xx xx

(ड) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन निगमित राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अभिप्रेत है;

(ढ) xx xx xx xx xx

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम

सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) XX XX XX XX XX

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उदयपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

(4) XX XX XX XX XX

4. अधिकारिता.- विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार विश्वविद्यालय विभागों और इसके संस्थानों और संस्थाओं में होगा और उनमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियां उसके द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा-

(i) से (iv) XX XX XX XX XX

(v) जनजातीय समुदायों के सदस्यों को अपने स्वयं के विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुंच द्वारा प्रबंध करने, प्रशासन करने और अपनी आवश्यकताओं की देखभाल करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहन के लिए समुचित उपाय करना; और

(vi) अन्तर-विषयक अध्ययनों और अनुसंधान में अध्यापन अध्ययन प्रक्रियाओं में नवाचारों को संप्रवर्तित करने, और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशाओं और कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देने, उनके बौद्धिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए समुचित उपाय करना।

XX XX XX XX XX

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(क) से (प) XX XX XX XX XX

(फ) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए प्रवेश, नियोजन के पदों और अन्य फायदों के मामलों में पर्याप्त प्रतिशत उपबंधित करके शैक्षिक, आर्थिक हितों और कल्याण के प्रोन्नयन के लिए विशेष उपबंध करना;

(ब) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जिन्हें विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी उद्देश्यों को प्राप्त करने या अग्रसर करने के लिए सहायक या आनुषंगिक समझें।

XX XX XX XX XX

22. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.- (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(I) **विश्वविद्यालय का कुलपति -** अध्यक्ष;

(II) **पदेन सदस्य -**

(i) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान;

(ii) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान;

(iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान;

(iv) आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास, उदयपुर;

(v) निदेशक, भारतीय प्रबन्धन संस्थान, उदयपुर;

(vi) कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर;

(vii) प्रति-कुलपति; और

(viii) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- (i) से (iii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(III) नामनिर्देशित सदस्य-

(i) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;

(ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य; और

(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(2) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

24. विद्या परिषद्.- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) से (छ) XX XX XX XX XX

(ज) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले ऐसे दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा; और

(झ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

26. संकायों की संरचना और कृत्य.- (1) xx xx xx xx xx

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:-

(क) से (ख) xx xx xx xx xx

(ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष; और

(घ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

30. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या उसके महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) से (3) xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx

(Authorised English Translation)

Bill No. 11 of 2016

THE RAJIV GANDHI TRIBAL UNIVERSITY, UDAIPUR (CHANGE OF NAME AND HEADQUARTERS, AND AMENDMENT) BILL, 2016

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur and its headquarters and also to make certain amendments in the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur (Change of Name and Headquarters, and Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on and from 1st July, 2016.

2. Change of name of the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur.- (1) The name of the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur incorporated under the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012 (Act No. 31 of 2012), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Govind Guru Tribal University, Banswara.

(2) Any reference to the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Govind Guru Tribal University, Banswara Act, 2012.

4. Amendment of Long Title, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In long title of the principal Act, for the existing expression "Rajiv Gandhi Tribal University at Udaipur", the expression "Govind Guru Tribal University at Banswara" shall be substituted.

5. Amendment of section 1, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In sub-section (1) of section 1 of the principal Act, for the existing expression "the Rajiv Gandhi Tribal University,

Udaipur", the expression "the Govind Guru Tribal University, Banswara" shall be substituted.

6. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In section 2 of the principal Act,-

(i) after the existing clause (b) and before existing clause (c), the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(bb) "affiliated college" means an educational institution admitted to the privileges of the University;

(bbb) "autonomous college" means an educational institution declared as such under the provisions of this Act;";

(ii) after the existing clause (d) and before existing clause (e), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(dd) "constituent college" means a college maintained by the University;";

(iii) after the existing clause (g) and before existing clause (h), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(gg) "Principal" means the Chief Executive Officer of a college or any person duly appointed to act as such;"; and

(iv) for the existing clause (m), the following shall be substituted, namely:-

"(m) "University" means the Govind Guru Tribal University, Banswara incorporated under section 3;".

7. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In section 3 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression "the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur", the expression "the Govind Guru Tribal University, Banswara" shall be substituted; and

(ii) *for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-*

"(3) The headquarters of the University shall be at Banswara which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.".

8. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- For the existing section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**4. Jurisdiction.**- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the provisions of the University of Rajasthan Act, 1946, the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University Act, 1998 (Act No. 10 of 1998), the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000), the Dr. Sarvepalli Radhakrishanan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005) and the Rajasthan Technical University Act, 2006 (Act No. 8 of 2006), the jurisdiction of the University shall extend to all the constituent, affiliated or autonomous colleges and to such other colleges, institutes, institutions and departments within the State of Rajasthan as may be specified by notification in the Official Gazette by the State Government.

(2) The State Government may, by order in writing,-

(a) require any institute, institution or college within the State to terminate with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or

(b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government is required to be self

governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government College situated in the jurisdiction of the University to be a constituent college of the University. The land, buildings, laboratories, equipments, books and any other properties of such college shall then vest in the University and the officers, teachers and employees of such Government Colleges under the administrative control, after being found suitable, through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or, as the case may be, employees of the University.".

9. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in clause (v), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (vi), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted; and

(iii) *after clause (vi), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-*

"(i) to make provision for imparting education in different branches of learning; and

(ii) to further the prosecution of research in all branches of learning.".

10. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In section 7 of the principal Act,-

(i) in clause (v), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (w), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted; and

(iii) after clause (w), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

"(x) to admit colleges, institutions and institutes not maintained by the University, to the

privileges of the University, and to withdraw all or any of these privileges;

(y) to confer autonomous status on a college, institution or department, as the case may be, subject to such conditions as may be laid down in this Act or as may be prescribed by the Statutes and to withdraw the autonomy; and

(z) to cooperate with other University and authorities in such manner and for such purpose as the University may determine.".

11. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In sub-section (1) of section 22 of the principal Act,-

(i) in sub-clause (vii) of clause (II), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in sub-clause (viii) of clause (II), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "; and" shall be substituted; and

(iii) after sub-clause (viii) of clause (II), so amended, the following new sub-clause shall be added, namely:-

"(ix) the Director/Commissioner of College Education, Rajasthan.";

(iv) in sub-clause (iv) of clause (III), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(v) in sub-clause (v) of clause (III), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "; and" shall be substituted; and

(vi) after sub-clause (v) of clause (III), so amended, the following new sub-clause shall be added, namely:-

"(vi) two Principals of affiliated colleges, one from the Government Colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government for one year.".

12. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In sub-section (1) of section 24 of the principal Act,-

(i) in clause (h), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (i), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression ";" shall be substituted; and

(iii) after clause (i), so amended, the following new clauses shall be added, namely:-

"(j) one Principal/Director of a constituent college to be nominated by the Vice-Chancellor;

(k) the Director/Commissioner of College Education, Rajasthan;

(l) two Principals of affiliated colleges, one from Government Colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government;

(m) one teacher other than the Professors, from a constituent college/University Department having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the Vice-Chancellor; and

(n) one teacher other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the State Government.".

13. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- In sub-section (2) of section 26 of the principal Act,-

(i) in clause (c), the existing word "and" appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (d), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "; and" shall be substituted; and

(iii) after clause (d), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(e) one Post-graduate College Principal and one Postgraduate Department Head in each subject of the Faculty from affiliated colleges, nominated by the State Government.".

***14. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 31 of 2012**.- For the existing sub-section (1) of section 30 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-*

"(1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or in colleges, institutes and institutions.".

15. Insertion of new sections 33A and 33B, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- After the existing section 33 and before existing section 34 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**33A. Conferment of autonomous status.**- (1) An affiliated college or a recognized institution or a University Department may be conferred the autonomous status by the University in the matter of admission of students, prescribing the courses of studies, imparting instructions and training, holding of examinations and the powers to make necessary rules for the purpose.

(2) The Board shall for the purpose of satisfying itself about the standards of education in such a college, institution or department may direct an enquiry to be made in the prescribed manner by a standing committee consisting of such persons as are deemed fit.

(3) On receipt of the report of the said committee and the recommendations of the Academic Council thereon, the Board on being satisfied, shall refer the matter to the University Grants Commission and the State Government to obtain their concurrence.

(4) On receipt of such concurrence, the University shall confer the autonomous status on the college, the institution or the department, as the case may be.

(5) The status of autonomy may be granted initially for a period of five years subject to review by an expert committee to be constituted for this purpose. The committee shall comprise the following, namely:-

(a) one nominee of the University;

(b) one nominee of the State Government;

(c) one nominee of the University Grants Commission;

(d) one Principal of an autonomous college to be nominated by the Vice-Chancellor; and

(e) an officer of the University to be nominated by the Vice-Chancellor.

(6) The Committee shall submit its report to the Board for further action.

(7) The University shall continue to exercise general supervision over such college, institution or department and to confer degrees on the students of such college, institution or department.

(8) The autonomous college, institution or department shall appoint such committees as may be prescribed for the proper management relating to academic, financial and administrative affairs.

(9) Every autonomous college, institution or department shall furnish such reports, returns and other information as the Board may require from time to time.

(10) The Board shall cause every autonomous college, institution or department to be inspected from time to time.

33B. Withdrawal of autonomous status.- (1) The conferment of autonomous status may be withdrawn by the University if the college, institution or department has failed to observe any of the conditions of its conferment or the efficiency thereof has so deteriorated that in the interest of education it is necessary to do so.

(2) Before an order under sub-section (1) is made, the Board shall, by one month's notice in writing, call upon the college, institution or department to show cause why such an order should not be made.

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the college, institution or department in reply to the notice, the Board shall, after consulting the Academic Council and the University Grants Commission report the matter to the State Government.

(4) The State Government shall, after such further enquiry, if any, as may be deemed fit, record its opinion in the matter and convey its decision to the University and the University shall thereupon make such order as it deems fit.

(5) Where in the case of an autonomous college, institution or department, the autonomous status conferred under section 33A is withdrawn by an order made under sub-section (4), such college, institution or department, as the case may be, shall cease to have an autonomous status from the date specified in the order.".

16. Insertion of new section 48A, Rajasthan Act No. 31 of 2012.- *After the existing section 48 and before existing section*

49 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

*"**48A. Transfer of properties and manpower.**- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chancellor may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for the transfer of-*

(a) any officer, teacher, employee or servant,

(b) any movable or immovable property situated in the jurisdictional area of this University or any rights or interest therein, and

(c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised,

from the Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur or any other University to this University on such terms and conditions as may be specified in the orders.".

_____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to keep pace with the rapid development of the State and to provide higher education on all divisional headquarters, a University was established at the Udaipur divisional headquarter by the State Government in the year 2012 with the name of "The Rajiv Gandhi Tribal University ,Udaipur .

A demand to change the name of this University to Govind Guru Tribal University, and shifting its headquarters at Banswara, was made by the citizens of Banswara and other reputed organisations since the establishment of this University.

Therefore, to meet out the long pending demand of the citizens of Banswara, educationists and social organisations for replacing the name of the Rajiv Gandhi Tribal University, to Govind Guru Tribal University, and shifting its headquarters from Udaipur to Banswara and to keep the memory of tribal saint Govind Guru immortal, the Cabinet of Rajasthan Government in its meeting held on 24.11.2015 at Jaipur, decided to change the name of the Rajiv Gandhi Tribal University to Govind Guru Tribal University, and shifting its headquarters from Udaipur to Banswara .

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन
महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश

(प्रतिलिपिः संख्या प.2 (19) विधि/2/2016 जयपुर, दिनांक 28 मार्च, 2016 प्रेषकः कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ |

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 7 (ii), 9 (iii), 14 and 16 of the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur (Change of Name and Headquarters, and Amendment) Bill, 2016, if enacted, shall involve expenditure from the consolidated fund of the State which is estimated to the tune of rupees 459.00 lac for the year 2016-17, out of which rupees 329.00 lac as non-recurring and rupees 130.00 lac as recurring amount.

Budget provision of Rs. 459.00 lac is being made in Budget Estimate 2016-17 for this purpose and remaining provisions will be made in phased manner as per actual requirement.

कालीचरण सराफ,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJIV GANDHI TRIBAL UNIVERSITY, UDAIPUR ACT, 2012.

(Act No. 31 of 2012)

XX XX XX XX XX XX XX

An Act to establish and incorporate Rajiv Gandhi Tribal University at Udaipur in the State of Rajasthan and to provide for the matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx xx

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) to (l) xx xx xx xx xx xx xx

(m) "University" means the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur incorporated under section 3;

(n) xx xx xx xx xx xx xx

3. Incorporation of the University.- (1) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of "the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur" and shall have perpetual succession and a Common Seal and may, by that name, sue and be sued.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

(3) The headquarters of the University shall be at Udaipur which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.

(4) xx xx xx xx xx xx xx

4. Jurisdiction.- The jurisdiction of the University shall extend to and the powers conferred by or under this Act shall be exercisable by it in the University departments and its institutes and institutions.

5. Objects of University.- The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purpose, among others, of -

(i) to (iv) xx xx xx xx xx xx xx

(v) to take appropriate measures for promoting, the members of tribal communities capable of

managing, administering and looking after their own needs by access to higher education through a University of their own; and

(vi) to take appropriate measures for promoting innovations in teaching learning processes in inter-disciplinary studies and research, and to pay special attention to the improvement of the social, educational and economic conditions and welfare of the Scheduled Tribes, their intellectual, academic and cultural development.

XX XX XX XX XX XX XX

7. Powers and functions of the University.- The University shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to (u) xx xx xx xx xx

(v) to make special provisions for the promotion of educational, economic interests and welfare of the members belonging to the Scheduled Tribes by providing adequate percentage of seats in the matters of admission, of posts of employment and other benefits; and

(w) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of the objects of the University.

XX XX XX XX XX XX XX

22. Constitution and composition of the Board of Management.- (1) The Board shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following members, namely:-

(I) the Vice-Chancellor of the University- Chairman;

(II) Ex-officio Members-

(i) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department;

(ii) the Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Higher Education Department;

(iii) the Additional Chief Secretary to the Government of Rajasthan, Tribal Area Development Department;

(iv) the Commissioner, Tribal Area Development, Udaipur;
(v) the Director, Indian Institute of Management, Udaipur;
(vi) the Vice-Chancellor, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur;
(vii) the Pro-Vice-Chancellor; and
(viii) the Registrar of the University, Member Secretary.

Explanation.- Ex-officio members mentioned at (i) to (iii) shall include their respective nominees who shall not be below the rank of a Deputy Secretary to the Government of Rajasthan;

(III) Nominated Members-

(i) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans for one year;
(ii) two University Professors nominated by the Chancellor for one year;
(iii) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;
(iv) two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years; and
(v) two eminent educationists to be nominated by the State Government for three years.

(2) to (5) xx xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX XX

24. Academic Council.- (1) There shall be an Academic Council of the University, consisting of the following as members, namely:-

(a) to (g) xx xx xx xx xx xx xx
(h) two persons having special attainment in the field of studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government; and
(i) the Registrar of the University, Member-Secretary.

(2) xx xx xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX XX

26. Composition and functions of the faculties.- (1) xxxx

(2) Each faculty shall consist of the following:-

(a) to (b) xx xx xx xx xx xx xx

(c) Chairmen of the Boards of Studies in the Faculty; and

(d) two external experts nominated by the Academic Council.

(3) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

30. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or its institutes and institutions.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2016 का विधेयक सं.11.

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर (नाम और मुख्यालय परिवर्तन, और संशोधन) विधेयक, 2016

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर के नाम और इसके मुख्यालय को परिवर्तित करने और राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन भी करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(कालीचरण सराफ, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 11 of 2016

THE RAJIV GANDHI TRIBAL UNIVERSITY, UDAIPUR (CHANGE OF NAME AND HEADQUARTERS, AND AMENDMENT) BILL, 2016

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to change the name of the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur and its headquarters and also to make certain amendments in the Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Kali Charan Saraf, **Minister-Incharge**)